उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या 71/2020/1098/92-2-20-18एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 04 जून 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 03 प्रमुख मार्गो के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या दि0 18-04-2019 व 20-05-2019 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1306/ 92-2-19-18एम/2018 दिनांक 24.06.2019 द्वारा श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति प्रखण्ड-मऊ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रा0अ0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-779/दि0 03-10-2019 द्वारा श्री गुप्ता को व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई हेतु दिनांक 10-10-2019 की तिथि निर्धारित किया गया। जिसके क्रम में श्री गुप्ता द्वारा उपस्थित होते हुये पत्र दिनांक 10-10-2019 से यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिया गया बचाव उत्तर विस्तृत एवं पूर्ण है। उक्त के अतिरिक्त उन्हें कुछ और नही कहना है।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) के पत्रसं0-856/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/जन0-भदोही/ एस0 टी0-269/19-20 दिनांक 19-10-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री गुप्ता पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप सं0-1 स्थापित न होने तथा आरोप सं0-3 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र सं0-2634/92-2-19-18एम/18 दिनांक 15-11-2019 से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत श्री गुप्ता का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्रसं0-61/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/भदोही/पीआईयू/19-20 दिनांक 26-12-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-2, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-2

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जी0टी0 रोड से त्रिलोकपुर महथुवा जगदरी असनांव तक सम्पर्क मार्ग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिये जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में नहीं किया गया, निंग मैटेरियल निर्धारित मानक से अधिक प्रयुक्त किया गया। योजना की दिशा निर्देश के विपरीत कम चौडाई में रोड वे का कार्य कराया गया। गुणवत्ता विहीन मिटटी से अधोमानक कार्य कराया गया तथा मार्ग पर पूर्व निर्मित पुलिया की चौडाई को योजना के मानक के अनुसार मार्ग के एलाईमेंट के अनुरूप नही बढाया गया। इस प्रकार आप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक कार्य करवाने, कार्य एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के लिये उत्तरदायी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्य में मात्र द्वितीय रनिंग बिल में इंगित चैनेजों एवं मदों के कार्य उनकी देखरेख में करवाया गया था। उनके द्वारा कराये गये चैनेज 1100 से 5200 मी0 के मध्य चैनेज 2630 मी0 पर टी0ए0सी0 द्वारा की गयी चेकिंग में जी-2 की ग्रेडिंग व निंग मैटेरियल निर्धारित मानक रेंज के अंतर्गत पाया गया है। निर्मित पुलिया की चौडाई को मार्ग के एलाइमेंट के अनुरूप न बढाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा जितनी चौडाई में जी0एस0बी0 एवं जी0-2 का कार्य करवाया गया था उसी चौडाई में उनके द्वारा जी0-3 का कार्य कराया गया था।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

जांच अधिकारी द्वारा कार्य के चैनेज 2630 मी0 के संबंध में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर को अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार योग्य बताया गया है। पुलिया के निर्माण में जी0-3 का कार्य कराने के पूर्व उन्हें पूर्वाधिकारियों द्वारा कराये गये कार्यो को ठीक करवाने के उपरान्त ही आगे कराना चाहिये था। जिसके लिये अपचारी अधिकारी को आंशिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

1- जांच अधिकारी की विवेचना में इंगित पूर्व निर्मित पुलिया की चौडाई को मार्ग के एलाईमेंट के अनुरूप न बढाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि जी0टी0 रोड से त्रिलोकपुर महथुवा जगदरी असनांव तक सम्पर्क मार्ग का स्वीकृत डी0पी0आर0 में पुलियों का चौडाई बढाने का कोई प्राविधान नही किया गया था, तथा न ही स्वीकृत डी0पी0आर0 में पुलिया का चौडाई बढाये जाने का उल्लेख था। प्रस्तावित मार्ग पर 4 पुलिया पूर्व निर्मित थी, जिसकी 8 पैरामिट में ब्रिक वर्क एवं प्वाटिंग कार्य कराये जाने का प्राविधान करते हुये मात्र रू0 56,000.00 की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अत: स्पष्ट है कि डी0पी0आर0 में चौडाई बढाने का प्राविधान न होने के कारण पुलियो की जी0-3 का कार्य कराते समय चौडाई नहीं बढायी गयी थी।

2- सामान्यत: मार्ग के जितनी चौडाई में विटुमिनियस एवं ब्रिक एजिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित होता है, उतनी ही चौडाई में कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में ही कार्य में संलिप्त अभियंताओं द्वारा मार्ग पर जी0एस0बी0 तथा जी0-2 का कार्य करवाया जाता है। तदोपरांत उसी चौडाई में ही आगे का जी0-3 का कार्य करवाया जाता है, जिसके कारण प्रारम्भिक अवस्था के बाद आगे कराये जाने वाले कार्यमदों के लिए चौडाई पर विशिष्ट रूप से ध्यान नहीं जाता है।

3- अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 23.12.2018 निर्धारित थी, कार्य दि0 24.03.2019 तक भी पूर्ण नही हुआ था। पीआईयूभदोही में मेरे द्वारा 31.03.2018 को योगदान किया गया था, तथा जनपद भदोही से स्थानान्तरण के उपरांत दि0 31.05.2018 को जनपद मऊ में योगदान किया गया। मात्र 02 माह का कार्यकाल रहा, जिसमें सम्पर्क मार्ग के प्रगतिरत अवस्था में आंशिक कार्य मेरे नियंत्रण में सम्पादित करवाया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा पुलियों की चौडाई बढाने की स्वीकृति प्राप्त करते हुये, मार्ग पर बचत की धनराशि से भी आवश्यकतानुसार पुलियों की चौडाई बढायी जा सकती थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3-अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पुलिया के निर्माण में जी0-3 का कार्य कराने के पूर्व उन्हें पूर्वाधिकारियों द्वारा कराये गये कार्यो को ठीक करवाने के उपरान्त ही आगे कराना चाहिये था। जिसके लिये अपचारी अधिकारी को आंशिक रूप से उत्तरदायी पाये जाने के दृष्टिगत श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति प्रखण्ड-मऊ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें कठोर चेतावनी देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 71/2020/1098/(1)/92-2-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
2- श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति प्रखण्ड-मऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।